# उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज<br>हेतराम वगैरा ..... बनाम ..... किशोरी वगैरा<br>बनाम<br>मु. सं. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

दिनांक 11–09–2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। सायलान के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम महवा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 899 से 904, 908 से 915 कुल किता 14 रकबा 4.97 हैक्टयर सायलान व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका खातेदारों ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है तथा उसी अनुसार काबिज होकर चले आ रहे है। गैरसायलान अविभाजित भूमि में निर्माण करने पर उतारू है। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये अंकित किया है कि अप्रार्थीगण का पूर्व से ही निर्माण है जिसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का पूर्व से ही विभाजन हो रहा है। इसलिये सायलान विभाजन करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के अनुसार ग्राम महवा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 899 से 904, 908 से 915 कुल किता 14 रकबा 4.97 हैक्टयर सायलान व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। यदि गैरसायलान द्वारा अविभाजित भूमि में किसी प्रकार का निर्माण किया जाता है तो सायलान के विभाजन के बाद का महत्व ही समाप्त हो जावेगा।

# न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिक

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>बनाम<br>मु. सं. |
|---|---|

अतः गैरसायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 लगायत 5 को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम महवा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 899 से 904, 908 से 915 कुल किता 14 रकबा 4.97 हैक्टयर में कोई नवीन कार्य नहीं करे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)